

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 29, 2012 ∕फाल्गुन 10, 1933

No. 82]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 29, 2012/PHALGUNA 10, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 110(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (विशेष सचिव-सह-महानिदेशक) भर्ती नियम, 2009 को अधिकांत करते हुए, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग में केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों के विशेष सचिव-सह-महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (विशेष सचिव-सह-महानिदेशक) भर्ती नियम, 2012 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.—(1) उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - (2) यह पद केन्द्रीय सेवा के अधीन किसी भी संगठित सेवा के काढर का भाग नहीं होगा।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अहंताएं,—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अहंताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता,-वह व्यक्ति,-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी को जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुत्तेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिवत.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका कोन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रचर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

634 GI/2012

भन्सूची

ŗ							, ,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													1.		į.	
मोध अर्थ विर	जाने वाले व्यक्तियों	के लिए विहित आयु	और शैक्षिक अहैताएं	प्रोन्सत व्यक्तियों की	दशा में लागू होंगी	या नही	(8)	लाग् सही नहीं होता						,	•.	明 年 何等 打品	परिस्थितियों मे	संघ लोक संवा	आयोग से परामर्श	किया जाएगा		,			(13)	संघ लोक सेवा
मीधे मती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य	•															यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो		naka in		ाज्या (वेद ेशका		en de la companya de		,		A Provide de
सिर अर्थ भ लिए	अहतार		··/				(2)	लाग् नहीं होता	······································	,	4	**	-			यदि विभागीय प्रो	उसकी संरचना		ر المعالمة		1				(12)	लागू नहीं होता
सीयी अली किय जाने	वाले ट्यक्तियों के लिए	आयु सीमा					(9)	नाम् मर्ही होता								ने दशा में वे श्रीणयां	प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।			-						
चयन पद	OP CEI	अचयन	पूर	**************************************		- 1	(5)	लाग् नहीं	होता				**************************************			द्वारा भर्ती व	न / आमेलन		-							
देतम वैंड + ग्रेड	वेतन या वेतनमान	-	-	,		,	(4)	80,000/-ज्ययो	(नियत)	The second of th	enggamma ping			· ·	Anguage Anguage Anguage	प्रोन्नित/असिला द्वारा भर्ती की दशा में	जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुष्ति	•								प्रतिनियुक्ति -
वर्गीकरण								साधरण केन्द्रीय	सेवा समूह "क"	राजपन्नित	अननुसधिवीय	•						i:		नवा	守	नुष्		ne i të dhim re	(11)	
पद्रं की	संख्या				,		(2) (3)	#Q.1	(2012) 執	*कार्यक्रार रा		4	परिवर्तम	किया जा	सकता है	भर्ती की पद्रति ,	भरी सीधे होगी या	प्रोज्नति द्वारा या	प्रतिनियुक्ति /	आमेलन द्वारा तथा	विभिन्न पद्गतियो	द्वारा भरे जाने वाले	रिक्त पदों की	प्रतिशतता	(10)	प्रतिनियुक्ति द्वारा
पद का नाम							(1)	विशेष सचिव-सह-	महानिदेशक	in the same						परिवीसा की	अवधि यदि	कोई झे	and the special polymers				ente private de la man	array garage and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and	6)	लागू नहीं होता

आयोग से परामशे करना आवश्यक

和歌

सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्यानी ग्रेड वेतन या

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी	स्थापि दिस्सविधित संस्था सभी सार
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर	मसिति केन्द्रीय संकार तथा दम पन पर
सहश पद धारण कर रहे हैं; या	नियमित के लिए पात्र अधिकातिओं ज्ञ
(ii) जिन्होंने 67000-79000/-रु० के उच्च प्रशासनिक ग्रेड के	त्यंत्र करेंग्री
वेतनमान वाले पद पर नियमित आधार पर उस पद पर	()) मंत्रिमंदल प्रसित प्राथम
नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हैं, और	Ŀ
जिनके पास निम्नालिखित आवश्यक अहंताएं हैं:-	()) अयोग मा अयोग साध्य -संदर्भ
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क	(m) गृह साचव
की क्षेत्र विरचना में कम से कम दस वर्ष के अनुभव के साथ	(10) साचव(कामिक) कामिक और
केन्द्रीय सरकार में प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर प्रशासन को	प्रशिक्षण विभाग - सदस्य
प्रशासित करने या उसे यलाने का कम से कम बीस वर्ष का	(v) सचिव, राजस्व विभाग - भदस्य
अनुभव रखता हो;	टिप्पण- पद के संबंध में कार्य की अपेक्षा
टिप्पण:- ऐसी रिक्ति होने की तारीख को, जिसके लिए चयन	को ध्यान में रखते हुए चयन समिति
किया जाता है, दो वर्ष से कम की अवशिष्ट सेवा वाला व्यक्ति	अभ्याधियों का मृत्यांकन करने के लिए
चयन के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा।	उपाय कर सकेगी।
टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय	·
सरकार के उसी या किसी अन्य संगठनाविभाग में इस नियुक्ति	der () ann i m
से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाब पद पर	
प्रतिनियुन्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक	
नहीं होगी।	·
टिप्पण ३:- प्रतिनियुमित आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के	
लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख	
से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित	
पुनरीक्षित वेतन सरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व	
नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की	

[फा. सं. 50/15/2008-प्रशा. 1] वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2012

- Constitution and in supersession of the Central Economic Intelligence Bureau (Special Secretary-cum-Director General) Recruitment Rules, 2009, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Special Secretary-cum-Director General of the Central Economic Intelligence Bureau in the Department of Revenue under the Ministry of Finance, namely:
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Central Economic Intelligence Bureau (Special Secretary-cum-Director General) Recruitment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale (1) The number of the said post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
 - (2) This post shall not form part of the cadre of any organized Service under the Central Government.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that, if the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Ex-serviceman, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

 6344112-2,

SCHEDULE

in the last the second	MANAGEMENT OF			HATTER PROPERTY.					pot 2		
Age innit for duect recruit	(9)	Not applicable	-			· ·					:
Whether selection or non-selection post	(5)	Not applicable	4								
Pay band, grade pay or pay scale	(4)	(Feed) (60000	Rs. 80,000/- (mace)	gamen is saide in Arter							
Classification	(6)	(0)	Central Service,	Group 'A', Gazetted,	Non-Ministerial				· ·		
Number of posts		(2)		*			*(2012)	*Subject to	variation	dependent	on workload.
Name of the post		(1)		Special	Secretary-	Com-Different					
<u></u>)	man bri								

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and by promotion or by deputation of absorptions methods	percentage of vacancies to be lilied by various	By deputation
Period of probation, if	·	(9) Not applicable
Whether age and	educational qualifications prescribed for direct recruits will	apply in the case of promotees (8)
0.00	Educational and other other qualifications required for	(7) Not applicable

dists, Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	(19)	Consultation with	the Commission not on of necessary				devise n view		
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	(12)	Not applicable.	However, a Selection Committee with the following composition shall make selection of eligible officers to be appointed to this post by the Central Government:	ry ary	(iii) Home Secretary - Member; (iv) Secretary (Personnel)	Department of Personnel and Training - Member; (v) Secretary, Department of Revenue - Member;	Note: The Selection Committee may devise ways to assess candidates keeping in view the job requirement for the post.		
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	[11]	ייקיעומונטווו ייקיעומווויים ייקיעומוויים ייקיעומוויים ייקיעומוויים ייקיעומוויים ייקיעומוויים ייקיעומוויים ייקיע	(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With two years' service in the grade rendered	after appointment thereto on a regular basis in the post in the HAG scale of pay of Rs. 67,000-79,000/-;	possessing the following essential qualifications:-	having at least twenty years of experience in administering and running the direct tax or indirect tax administration in the Central Government with at least ten years	is of Central	Note 1. – No person with less than two years' residual service on the date of occurrence of the vacancy for which selection is made shall be eligible for consideration for selection.	Note 2. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment

under same or some other organization or Department of the Central Government shall not exceed five years.

and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the shall be deemed to be service rendered in the commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into corresponding grade pay or pay scale extended the recommendations of the pay the service rendered on a 3. - For the purpose of appointment on from which the revised pay Commission recommendation has been extended) one grade with a common grade pay or pay scale, regular basis by an officer prior to 1st January, the Sixth Central replacement structure based on basis. 2006 (the date upgradation. deputation ដ normal based

[F. No. 50/15/2008-Ad. I] V. SREEKUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.